(1)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–122/2014–15

गोपाल प्रसाद बनाम आसकरण यादव

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
04/09/18	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के पत्रांक 116 दिनांक 30.01.2015 से प्राप्त अंचलाधिकारी, पालीगंज के जमाबंदी रद्द वाद सं0 03/2014–15 के आलोक में आरम्भ की गयी। इस वाद में दिनांक 20.06.2018 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी के द्वारा लिखित बहस एवं List of Document दायर करने हेतु समय की मांग की गयी। सुनवाई की अगली तिथि 10.07.2018 तथा उसके पश्चात दिनांक 28.07.2018 को भी विपक्षी की तरफ से लिखित बहस एवं List of Document दाखिल नहीं किया गया। आज विपक्षी के द्वारा हाजरी दी गयी, परन्तु पुकार पर विपक्षी अनुपस्थित पाये गये। आज भी विपक्षी की तरफ से लिखित बहस अथवा List of Document दाखिल नहीं किया गया। **अंचलाधिकारी, पालीगंज का प्रतिवेदन है कि** 1. गोपाल प्रसाद, पिता झोपड़ी महतो के द्वारा मौजा–लालगंज सेहरा, थाना नं0–282, खाता नं0 244 खेसरा नं0 1637 रकवा 1.666 डी0 की खरीद दिनांक 12.04.2010 के केवाला से की गयी थी। उक्त केवाला के आधार पर गोपाल प्रसाद के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम है। 2. प्रश्नगत खाता, खेसरा के $\frac{1}{2}$ डी0 पर आसकरण यादव के द्वारा अपने नाम से जमाबंदी सं0 56 कायम करवा ली गयी है। 3. BLDR वाद सं0–243/13–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 29.08.2014 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड पर गोपाल प्रसाद के अधिकार की घोषणा की गयी है तथा विपक्षी का दावा अमान्य किया गया है। 4. अंचलाधिकारी, पालीगंज के द्वारा मौजा लालगंज सेहरा खाता नं0 244 खेसरा नं0 1637 रकवा $\frac{1}{2}$ डी0 के लिए आसकरण यादव के नाम से कायम जमाबंदी सं0 56 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। **विपक्षी आसकरण यादव की तरफ से दायर लिखित प्रतिउत्तर में कहा गया है कि** (1) प्रश्नगत खेसरा सं0 1637 सर्वे खतियान में सुकन मियाँ के नाम से दर्ज है। सुकन मियाँ के पौत्र के द्वारा कुल 5डी0 की विक्री दिनांक 23.02.1950 के केवाला से शैल कुमार सिन्हा को कर दी गयी। शैल कुमार सिन्हा के द्वारा उक्त भूखण्ड का मुख्तारनामा दिनांक 09.09.1956 को अपनी	

सास राधेश्वरी कुअंर को लिख दिया गया। राधेश्वरी कुंवर के द्वारा उक्त 5डी0 भूमि दिनांक 04.12.1961 के केवाला से रामचन्द्र तमोली, रामचरित्र तमोली एवं रामेश्वर तमोली को बेच दी गयी। तीनों भाई के बीच बंटवारा के पश्चात रामेश्वर तमोली के द्वारा अपने हिस्से की $\frac{1}{3}$ भूमि दिनांक 16.09.1979 की डीड से छोटे लाल तमोली को बेच दी गयी। छोटे लाल तमोली की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हरि प्रसाद तमोली प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आये तथा उनके द्वारा उक्त भूखण्ड में से $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि की बिक्री दिनांक 23.02.2010 के केवाला से विपक्षी आसकरण यादव को कर दी गयी।

(2) BLDR वाद सं0–243/13–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा दिनांक 29.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमण्डल के न्यायालय में अपील सं0 708/2014 दायर है। इस स्थिति में इस न्यायालय में इस वाद की सुनवाई नहीं की जा सकती।

(3) विपक्षी आसकरण यादव के द्वारा इस वाद को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य सामने आता है कि BLDR वाद सं0–243/13–14 के अन्तर्गत उभय पक्ष को सुनकर तथा दाखिल किये गये कागजातों की समीक्षा कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा अपने दिनांक 29.08.2014 के आदेश से प्रश्नगत भूखण्ड पर गोपाल प्रसाद के अधिकार की घोषणा की गयी है। उक्त आदेश में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज के द्वारा आसकरण यादव की जमाबंदी सं0 56 को अवैध एवं संदेहास्पद माना गया है। विपक्षी आसकरण यादव के द्वारा BLDR वाद सं0–243/13–14 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, पटना प्रमण्डल के न्यायालय में अपील सं0 708/14 लम्बित रहने की बात कही गयी है, परन्तु उससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त BLDR वाद सं0–243/13–14 में दिनांक 29.08.2014 को पारित आदेश, अंचलाधिकारी, पालीगंज एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज की अनुशंसा के आलोक में मेरा यह मत है कि आसकरण यादव के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के लिए कायम जमाबंदी सं0 56 को रद्द किया जाना उचित एवं विधि सम्मत है। अतः विपक्षी आसकरण यादव की जमाबंदी सं0 56 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, पालीगंज को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना